तुरन्त

क्रमांक 5598-जी एस:/77/32569

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

(1) हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल,
सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी (सिविल)

(2) रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट चण्डीगढ़ तथा
हरियाणा राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

दिनांक; चण्डीगढ़ 10 अक्तूबर, 1977

**विषय :—** निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के मामले के शीघ्र निपटान बारे ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 3624–जी0 एस0 61/14507, दिनांक 21–4–61 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं और सूचित करूं कि इन हिदायतों के अनुसार निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध जांच आदि का कार्य 6 मास के भीतर पूर्व किया जाना होता है और यदि इस निर्धारित अवधि में वह कार्य पूरा न किया जा सके और इस समय में वृद्धि कराना आवश्यक हो तो 3 मास तक कार्यभारी मन्त्री और इसके पश्चात 9 मास की अवधि व्यतीत होने पर केस मन्त्री परिषद् को प्रस्तुत करना होता है । सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार करके यह निर्णय लिया है कि भविष्य में निलम्बित कर्मचारियों को 6 मास की अवधि के पश्चात् कार्यभारी मन्त्री 3 मास की बजाये 6 मास तक वृद्धि देने के लिये सक्षम होंगे यदि किसी कर्मचारी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात निलम्बित रखना आवश्यक हो तो मामला मन्त्री-परिषद् को अनुमोदन हेतू प्रस्तुत किया जाए। मन्त्री परिषद् को ज्ञापन प्रस्तुत करते समय सरकार के परिपत्र क्रमांक 5337–5जी.एस/74/24093, दिनांक 21–10–74 द्वारा अपेक्षित सूचना निर्धारित प्रोफामा में दी जाये।

2. कृपया उपरोक्त आदेशों की दृढ़ता से पालन करें।

हस्त:/
उप सचिव सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है
वित्तायुक्त, हरियाणा सभी प्रशासकीय सचिव हरियाणा सरकार ।